बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– रे0/यो0 स्वी0–18/2017 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में विलोपित रेशम फार्म सिरसा, गोपालगंज में मलवरी उत्पादन हेतु रू0 30,63,000/–(तीस लाख तिरसठ हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में रेशम फार्म सिरसा, गोपालगंज में मलवरी उत्पादन, जीविका द्वारा गठित स्थानीय स्वयं सहायता समूह के माध्यम करते हुए इस फार्म को आदर्श मलवरी फार्म के रूप में विकसित करने के लिए रू0 30,63,000/–(तीस लाख तिरसठ हजार) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यक्रमवार स्वीकृत राशि निम्नांकित है –

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत (रू0)	कुल लागत
1	मलवरी वृक्षारोपण (उच्च उत्पादकता वाली मलवरी किस्म) (एकड़)	5	50000	250000
2	सिंचाई व्यवस्था (बोर वेल सहित)	1	100000	100000
3	कीटपाल गृह का निर्माण–मोडल –1 (1000 sq ft.)	2	400000	800000
4	कीटपालन उपस्कर (Improved Mountages के साथ)	5	75000	375000
5	Prophylactic measures (Quaility disinfictant एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य सहायता) प्रति कृषक दो साल के लिए	20	5000	100000
6	Hot air dryer – 50 Kg क्षमता (Multi fuel Unit)	2	69000	138000
7	कृषकों का प्रशिक्षण एवं भ्रमण	10	10000	100000
8	वर्मी कम्पोस्ट	2	25000	50000
9	कटीली तार का घेरा, विद्युतीकरण, उपस्कर	लगभग		1150000
				30,63,000

(रू0 तीस लाख तिरसठ हजार मात्र)

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 30,63,000/–(तीस लाख तिरसठ हजार) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष–0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड– 23–2851001070101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष –0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध उपलब्ध है।

M/Rajyadesh

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि एकमुश्त निकासी BTC Form 42 पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज जिला कोषागार, गोपालगंज से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना के पक्ष में की जाएगी। वे राशि की निकासी कर जीविका को योजना कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध करा देंगे। वे इस योजना का अपने स्तर से पर्यवेक्षण भी करेंगे। स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका द्वारा फार्म के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह का चयन इस फार्म में मलवरी की खेती / कीटपालन करने के लिए किया जाएगा। इस समूह में दस सदस्य होंगे। इनको जीविका द्वारा पोषित किया जाएगा। फार्म में उच्च उत्पादकता वाली मलवरी किस्म (S1,S1635) की खेती 3'x3' पैटर्न में की जाएगी। सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए बोरिंग एवं पंपसेट उपलब्ध कराया जाएगा। कीटपालन करने के लिए कीटपालन उपस्कर, कीटपालन गृह एवं विसंक्रामक व अन्य सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पादित कोए को सुखाने के लिए हॉट एयर ड्रायर का भी क्रय किया जाएगा। खाद तैयार करने के लिए वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था की जाएगी। फार्म को कंटीले तार से घेरने एवं कीटपालन गृह के विद्युतीकरण की भी व्यवस्था की जाएगी। कार्यालय के लिए अतिआवश्यक उपस्कर भी क्रय किये जाएंगे। जीविका अपने Procurement Guidelines के अनुसार सामग्रियों का क्रय करेगा।

5. जीविका स्वयं सहायता समूह एवं सदस्यों के साथ एक साल का एकरारनामा करेगी। कार्य संतोषजनक रहने पर अगले साल के लिए इसका Renual किया जाएगा। ककून उत्पादन नहीं होने की स्थिति में स्वयं सहायता समूह एवं सदस्य कस मलवरी पौधो / जमीन पर से अधिकार समाप्त हो जाएगी। पूरी विकसित व्यवस्था के साथ फार्म पर कार्य करने के लिए अन्य व्यवस्था करने के लिए जीविका / उद्योग विभाग स्वतंत्र होगा। कार्य चालू रहने की अवस्था में समूह को रु० 1000 / – प्रतिवर्ष सरकारी कोष में जमा करना होगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज के माध्यम, इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या– रे०/यो० स्वी०–18/2017 के पृष्ठ 12/टि० पर दिनांक 09-03-2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रंक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(21)

1.7

AI/Rajyadesh

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18/2017 पटना,दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18/2017 पटना,दिनांक–

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज/जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18/2017 पटना,दिनांक–

प्रतिलिपि–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 स्वी0–18/2017 1051 पटना,दिनांक– 14.03.18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तक, बिहार,पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/उप विकास आयुक्त, गोपालगंज/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
13/3/18

M/Rayadesh